बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/pmc/विविध/957/2014–853

प्रेषक,

ई0 विपिन बिहारी मिश्र
संयुक्त सचिव (अभि0)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
निदेशक, वाल्मी
संयुक्त निदेशक, एफ. एम. आई. एस. सी.
उप सचिव, काडा
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27/11/2015

विषयः– बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 159(क)(1) एवं 159(ख) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के सम्बन्ध में संसूचित करना है कि बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 159(क)(1) एवं 159(ख) में संशोधन का संकल्प पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक प्र0 6/1/वी0/12/2003–5676(s) दिनांक 24.06.2015 द्वारा किया गया है। अपने–अपने परिक्षेत्र के सभी कार्यपालक अभियंता के स्तर तक सूचना देते हुए निदेशित किया जाय कि इस संकल्प का नियमतः पालन किया जाय।

अनु0– पथ निर्माण विभाग के
संकल्प की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

27/11/15

विपिन बिहारी मिश्र
संयुक्त सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग

श्री अखिलेश जी,
कृपया इसे विभाग के website पर upload कर दिया जाए।
27/11/2015

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 159 (क) (i) एवं 159(ख) में संशोधन के संबंध में।

कार्य विभागों में सुरक्षा एवं जनहित के आलोक में महत्वपूर्ण एवं लघु प्रकृति की योजनाओं को बिना समय गंवाये तुरंत निष्पादित करने की अनिवार्यता होती है। विगत वर्षों में निर्माण सामग्रियों के मूल्यों एवं सेवाओं की दर में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है साथ ही समाचार पत्र एवं वैकल्पिक सूचना तंत्र में प्रकाशन की दरों में भी इस बीच अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

2. अतः पथ निर्माण विभाग के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–6831(एस) दिनांक 26.08.2013 द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 159 (क) (i) एवं 159(ख) में किये गये प्रावधान को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

2.1 159(क)(i) योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अतिरिक्त (in addition to) सभी कार्य विभागों के विभिन्न आकस्मिक/आपातकालीन/अतिआवश्यक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) से अधिक है, के लिए ही निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार–पत्र/इन्टरनेट पर आवश्यक होगा। 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) अथवा उससे कम राशि के कार्यों के लिए दैनिक समाचार–पत्र/इन्टरनेट में निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) से कम लागत के कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक नियत समय के लिये वृहद प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुये निविदा आमंत्रित कर कार्यों का कार्यान्वयन किया जाएगा। साथ ही ऐसे कार्यों के स्वीकृति के पूर्व डिजाईन/प्राक्कलन तैयार किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी कार्य प्राक्कलन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यान्वित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व एकरारनामा किया जाना एवं कार्यादेश निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही बिहार लोक संहिता के अन्य नियम तथा निविदा स्वीकृति के लिये बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। इस प्रावधान के आलोक में कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता को चिन्हित करते हुए संबंधित उक्त प्रशासी विभागों द्वारा अलग से निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।

2.2 159 (क) (ii) के पूर्व का प्रावधान यथावत रहेगा।

2.3 159(ख) उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक--6831(एस), दिनांक–26.08.2013 द्वारा निर्गत संकल्प द्वारा सभी कार्य विभागों (योजना एवं विकास विभाग सहित) से संबंधित ऐसे सभी कार्य जिसकी राशि रूपये 10.00 लाख (दस लाख) से अधिक है, के निविदा की प्राप्ति एवं निष्पादन e-procurement विधि से आवश्यक किये जाने के प्रावधान में रूपये 10.00 लाख (दस लाख) की राशि को बढ़ाकर रू015.00 लाख (पन्द्रह लाख) किया जाना आनुषंगिक होगा। तद्आलोक में नियम 159(ख) को संशोधित कर e-procurement हेतु रू0 15.00 लाख की सीमा से अधिक की योजना हेतु ही इसे अनिवार्य माना जायेगा।

24.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06/1/बी0/12/2003 - 5676(S) पटना, दिनांक - 24.6.15

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

24.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06/1/बी0/12/2003 5676(S) पटना, दिनांक - 24.6.15 -

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06/1/बी0/12/2003 – 5676(S) पटना, दिनांक – 24.6.15

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव(प्रा0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।